


# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:-कार्यालय आदेश:-

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर चयनित निम्नालिखित प्राध्यापकों (पुरुष/महिला) का परीवीक्षाकाल समाप्त होने पर उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 05 में अंकित तिथि से प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) गणित के पद पर वेतन श्रृंखला (6500-10500) स्कैल नम्बर 12 में स्थाई किया जाता है।

क्र. स.	नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन (स्थान राउमावि)	जन्म तिथि	नियमित नियुक्ति तिथि	स्थाईकरण तिथि
01.	सम्पतलाल, व्या. (गणित) कुचेरा (नागौर) वर्तमान प्रधानाचार्य सुरपुरा (मण्डोर) जोधपुर	15.07.1966	27.08.2003	27.08.2006


उक्त कार्मिक के एक परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि नियमानुसार एक वर्ष विलम्ब से स्वीकृत की जाती है। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) को निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त कार्मिक को अधिक भुगतान किया गया है तो उसकी वसुली की जाकर राजकोष में जमा करावें साथ ही इस कार्यालय को सूचित करें।

  
(सौरभ स्वामी)  
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगक/नियमितिकरण-स्थाईकरण/५४ दिनांक: ११/०८/२०२०  
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय नागौर/जोधपुर
4. संबंधित संस्था प्रधान
5. संबंधित कार्मिक
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

--:: कार्यालय-आदेश ::--

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक वेतन पे मैट्रिक्स लेवल-12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांक 09.12.17 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये निम्नांकित प्राध्यापकों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 05 ( vi & vii ) एवं अनुसूची 1 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 09 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स लेवल-12 एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की व नियमित करने की व नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 09 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थाईकरण किया जाता है।

क्रसं	वर्ग	पुराना मेरिट क्रमांक	नया मेरिट क्रमांक	प्राध्यापक नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ST, WE	-	265	मोनिका मीणा, छबड़ा (बारां)	गणित	25/05/1986	15-08-2018	15-08-2020
2	GE	-	111	नरेन्द्र कुमार शर्मा, कोलायत (बीकानेर)	गणित	10/08/1992	28-07-2018	28-07-2020
3	BC, RG, NG	-	138	पंकज कुमार कुमावत, कोलासर (बीकानेर)	गणित	20/02/1988	28-07-2018	28-07-2020
4	BC, RG, NG	-	163	प्रवीण कुमार जानू, मालासर (बीकानेर)	गणित	20/08/1990	26-07-2018	26-07-2020
5	BC, RG	-	159	विजय श्री जांगिड़, बन्दड़ा (पांचू) बीकानेर	गणित	01/06/1990	08-08-2018	08-08-2020
6	ST, DC	-	256	अशोक कुमार मीणा, पगरिया (झालावाड़)	गणित	16/06/1988	11-08-2018	11-08-2020

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-3/प्रो.ट्रे/गणित/स्थाईकरण/2015/2020  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 21/08/2020

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संबंधित संभाग।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/ संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
4. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक।
5. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी प्रभाग।
6. सिस्टम एनेलैसिसट कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली

(संयुक्त निदेशक (कार्मिक))  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर